Form No.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर

कमलेश बनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 136 LRA नं. 11 सन 2025 जीसीएमएस नं. 44

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हुए
17.02.25	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 21.03.2025 को पेश हो। (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)	
21.3.25	वकील वादी प्रार्थी बच्चूलाल फरीकैन उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय प्रोटोकाल में पधारे हैं। पर है। अतः पत्रावली वास्ते .... को पेश हो। Ral. दिनांक 14-5-25	
14/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि बाके ग्राम इटामडा की आराजीयात में प्रार्थिया का नाम कमलेश के स्थान पर कल्लो राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज हो गया। जबकि मेरे आधार कार्ड, जन-आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में सही नाम कमलेश दर्ज है अतः प्रार्थिया का नाम शुद्ध किया जावे। हमने बहस वकील प्रार्थिया पर मनन किया।	

लगातार---

पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभाँति
अध्ययन किया गया। इनके आधार पर हम नाम शुद्ध किया
जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार,
भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 1473, 1536
वाके ग्राम रणधीरगढ़ तह० भुसावर में प्रार्थी का गलत कल्लो
के स्थान पर कमलेश दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद
तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)